"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018—भाद्रपद 23, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक ई-1-15/2018/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16/2/2016-EO (MM-I) दिनांक 13-07-2018 के तारतम्य में डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (सीजी : 2002), सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को माननीय केन्द्रीय मंत्री, नागर विमानन विभाग (श्री सुरेश प्रभु) की निजी स्थापना में निज सचिव (संचालक स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 02-08-2018 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-6/2011/32/पार्ट-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के दामाखेड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर, दिनांक 25 अगस्त 2018

क्रमांक 13508/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 05	0.016	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर संभाग क्रमांक-5, खरसिया, जिला-रायगढ़.	आमनदुला सब माईनर नं. 2, वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	1.426	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	नवापारा	1.719	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	झरियापाली	2.098	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	देवगढ़	2.158	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	1.050	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली	2.672	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	घरघोड़ा-तमनार सड़क चौड़ीकरण निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक/7008/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	अमलीडीह	1.42	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बालोद.	तरौद से दैहान बायपास मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-राईतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170	0.105
196	0.004
190	0.045

	(1)	(2)
	195/2	0.125
योग	04	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत राईतराई माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 21/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-पुसौर
  (ग) नगर/ग्राम-राईतराई
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	29/1	0.073
	28/1	0.093
	27/1	0.024
	25	0.105
योग	04	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत अमलीडीहा माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 24/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-रायगढ़
  (ख) तहसील-पुसौर
  (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	189/1	0.230
	187/11	0.093
योग	02	0.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 25/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-टेका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.678 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)		रकबा (हेक्टेयर में) (2)
207/1, 219/2, 262/2	8	0.045
196/12, 196/13क		0.024
262/7		0.073
262/5		0.036
220/3		0.032
262/6		0.036
207/1, 219/2, 262/2	6	0.105
207/5		0.121
262/3		0.026
207/1, 219/2, 262/2	7	0.073
207/3		0.081
262/4		0.026
योग 12		0.678

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत तारापुर माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206/3क	0.061
214	0.028
231/12	0.012
447/4, 448/1ख	0.057
447/1ड़	0.129
463/8	0.121
465/491/1	0.016
464/2	0.032
218/1ख	0.028
206/2	0.008
212/1	0.113
447/2, 448/1क	0.057
447/7, 448/2ग	0.024
464/1	0.008
232/3	0.306
464/491/2	0.008
464/7क	0.097
233	0.016
213/2क	0.065
219/1	0.004
231/4	0.028
447/1च	0.097
464/3	0.073
464/4	0.020
442/5	0.121
442/4क	0.004
217	0.065
216	0.041
447/8, 448/2घ	0.057
464/5	0.073
463/2	0.121
465/2	0.0137
442/6	0.097

	(1)	(2)
	218/1क	0.013
योग	34	2.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर-2 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक 27/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
330/1	0.073
331	0.065
364/1ग	0.036
512/1	0.057
364/3	0.041
365/2	0.049
476	0.045
478/1	0.101
452/6	0.020
477/1क	0.053
479	0.012
419/4	0.073
494/1	0.024
508/2	0.004
510/1	0.012
523/1	0.004
346/2	0.012
363	0.004
364/1	0.049
364/4	0.004
519/4	0.173
449/2	0.069
451/1	0.016
475/1	0.028
477/2	0.004
480/3	0.012
491/5	0.081
495/2	0.024
508/4	0.016
512/2	0.020
330/2	0.073
346/6	0.049
480/1	0.141
364/2	0.012
364/5	0.032
520/1	0.012
450/5	0.036
451/2	0.036
475/2	0.045
501/6	0.061
513/3	0.041
491/6	0.008
508/1	0.053
508/5	0.012
512/4	0.032
330/3	0.133
346/8ख	0.024
496	0.073
514	0.057
365/1	0.061
369	0.012
450/3	0.049
452/4	0.008
475/3	0.032
478/2	0.012
480/5	0.008
492	0.004
508/8	0.004

	(1)	(2)
	508/7	0.032
	512/5	0.057
योग	60	2.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर-1 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-जरेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	578	0.057
	577	0.089
	579	0.069
	580	0.073
	581	0.168
योग	05	0.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.387 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/2	0.008
	149/2	0.057
	152/1	0.012
	1/3	0.032
	150/1	0.036
	81/2	0.032
	81/1	0.032
	150/2	0.077
	79/1	0.061
	149/1	0.040
	152/1	0.012
योग	11	0.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाझर नाला पर पुलिया निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिथरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/4	0.129
	17/5 ख	0.056
	20/3	0.008
योग	3	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.338 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1288/5	0.161
	1281/1	0.032
	1288/4	0.097
	1288/1	0.040
	1280/3	0.008
योग	5	0.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़-कोरबा-उरगा-हाटी मार्ग के कि.मी. 16/6 पर पहुंच मार्ग हेतु सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 43/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.361 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/2	0.057
	5/5	0.061
	8/4	0.008
	16/1	0.036
	41/3	0.028
	50/4	0.041
	77/1, 91/2	0.161
	4/3	0.016
	7/2	0.077
	9	0.101
	36/1	0.073
	41/4	0.016
	51	0.024
	4/4	0.137
	8/2	0.057
	15/1	0.065
	36/3	0.016
	45	0.045
	52/2	0.097
	5/4	0.069
	8/3	0.008
	15/2	0.045
	41/6	0.030
	46/1	0.089
	76	0.004
योग	25	1.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के शारा वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 44/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तुरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/1	0.105
	8/3	0.073
योग	2	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं तुरंगा माइनर लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 47/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े हल्दी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/3	0.133

(1)	(2)
31/2, 32/1	0.083
33/15	0.097
36	0.105
71/1	0.008
72/1	0.045
151/2	0.073
153/6	0.012
158/7	0.012
161/3	0.045
30/1ख/2	0.020
19/8	0.076
31/4, 32/4	0.073
33/17	0.045
37/2	0.061
71/3ख/1	0.012
73	0.041
152/1क	0.243
152/4	0.004
158/8	0.028
162/1	0.045
21	0.097
32/5	0.081
35/1, 35/3	0.032
69/1	0.142
71/3क	0.004
74/1	0.029
152/3	0.085
152/8	0.146
160/2	0.041
165	0.089
30/1ख/1	0.020
33/16	0.146
35/2, 35/4	0.032
70	0.008
71/3ख/2	0.057
74/2	0.049
152/5	0.008
158/2	0.053
161/1	0.008
158/6	0.008
योग 41	2.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 48/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.232 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1872	0.041
	1885	0.049
	1873	0.028
	1875/1	0.049
	1875/2	0.008
	1884/1	0.057
योग	6	0.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुडू माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्रमांक 49/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-गुडू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	135/6	0.020
	182/4	0.028
	409/25	0.041
	409/27	0.020
	141/7	0.036
	135/7	0.049
	149/2	0.020
	409/29	0.085
	409/17	0.020
	21/1क	0.024
	135/8	0.045
	409/20	0.089
	409/30	0.061
	409/19	0.028
	21/4	0.024
	135/2	0.121
	409/28	0.028
	409/31	0.109
	182/3	0.024
	409/14	0.036
योग	20	0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तेलीपाली वितरक नहर एवं गुडू माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक 10/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-खम्हारडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.024
17	0.057
18/1	0.028
18/3	0.032
13/1	0.036
13/2	0.020
19/3	0.020
20	0.178
88/2	0.061
63/1	0.045
63/2	0.045
64	0.045
65/1	0.004
77/1, 78/1	0.020
80	0.032
77/2, 78/2	0.105
81/1	0.052
83/2	0.012
81/2	0.052

	(1)	(2)
	82, 83/1	0.109
	57/1	0.004
	57/4	0.004
	94/4	0.012
	86, 88/1	0.073
	92	0.089
योग	29	1.159

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के खम्हारडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2018

क्रमांक 53/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोछ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.117
7/6	0.073
30/1	0.016
7/1	0.012
10/2	0.057
258/2	0.388
250/1	0.032
8/2	0.032
12	0.012
8/1	0.113
7/2	0.045
7/7	0.049
7/5	0.008
152/2	0.024
7/4	0.008
10/1	0.073
27/1	0.061
27/2	0.008
28/1	0.032
28/2	0.024
29	0.053
30/3	0.032
34/1	0.024
34/2	0.057
30/2	0.061
32	0.053
33/1, 33/2	0.142
41/1	0.020
43/1	0.053
43/2	0.105
61/2	0.020
62	0.073
65/5	0.040
65/6	0.032
75	0.053
86	0.020
82	0.016
81	0.016
80	0.081
76/1	0.049
76/2	0.049
153/1	0.024
144/3	0.045
145/2	0.028
154/4	0.028
153/4	0.065
152/1	0.032
146/3	0.129
147	0.045
148	0.024
149	0.036
412	0.045
413	0.259

(1)	(2)
411/7	0.089
411/8	0.077
587/4	0.012
648	0.028
647/1	0.012
647/2	0.012
647/3	0.012
647/4	0.012
646/1	0.016
646/2	0.024
646/3	0.016
636	0.028
637	0.008
638/1	0.040
638/2	0.036
638/3	0.012
633	0.040
631	0.045
597/3	0.012
630/1	0.040
597/1	0.053
607	0.020
604	0.032
606	0.024
605	0.049
582	0.053
579	0.053
586	0.065
584/1	0.020
583	0.081
584/2	0.073
493	0.097
491/2	0.032
764/1ख	0.413
831/1	0.053
831/2	0.065
832/1	0.077
832/2	0.081
841/2	0.109
1314/6	0.121
1314/5	0.243
1314/3	0.194
1314/9	0.202
1314/7	0.311
1315/2	0.138
1436/2	0.057
1437/3	0.214
1437/4	0.121
1441	0.166
650/1ड़	0.999
1436/4	0.409
29	0.053
30/3	0.032
योग 107	8.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-बिल्हा
   (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
127/1	0.097
127/2	0.016
133/1	0.089
134	0.040
153/1	0.004
152	0.057
162	0.081
160/1	0.004

(1)	(2)
161	0.057
160/2	0.036
151	0.049
166/2	0.057
167	0.073
114	0.008
113/3	0.053
115/2	0.057
113/2	0.012
योग 17	0.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-ऐठुलकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
79/1	0.024
87/1	0.028
86	0.056
85/1	0.040
85/2	0.008
85/3	0.021
84/1	0.016
95/1	0.032
95/5	0.081
95/8	0.032
95/18	0.012
95/15	0.008
95/20	0.020
94/1	0.020
94/2	0.040
91/1	0.008
94/3	0.016
94/4	0.045
97	0.061
102/1, 102/2, 102/3	0.012
105/1	0.040
105/4	0.008
105/5	0.032
104/1	0.045
104/2	0.016
109/3	0.036
118/37	0.024
118/18	0.024
118/1	0.101
118/2	0.048
116/1	0.048
118/19	0.024
118/16	0.057
117/2	0.226
योग 36	1.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरीकापा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 11/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरी अकबरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.239 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/3	0.036
	49/4	0.024
	48	0.028
	52/2	0.045
	50/1	0.004
	52/1	0.057
	52/3	0.016
	52/4	0.012
	38/2	0.008
	54	0.057
	60/1	0.061
	60/2	0.049
	60/3	0.068
	61/1	0.008
	61/2	0.089
	63	0.077
	62/2	0.008
	64/2	0.032
	64/3	0.032
	64/4	0.020
	64/5	0.016
	69	0.065
	68/1	0.045
	71	0.057
	73	0.053
	19	0.053
	23	0.028
	24	0.032
	10/2	0.016
	10/3	0.036
	1/4	0.097
	4	0.028
	2	0.073
	5/1	0.045
	1/18	0.097
	60/4	0.061
	817/1	0.053
	828	0.036
	824/1	0.036
	827	0.028
	830	0.028
	829	0.028
	817/2	0.020
	818	0.089
	819/1	0.073
	7/1	0.101
	820	0.113
	821/2	0.045
	821/3	0.040
	826/1	0.016
योग	50	2.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरी अकबरी माइनर, अमेरीकापा सब माइनर, अमेरी अकबरी सब माइनर 1, 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-उड़नताल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2	0.012
129/1	0.267
129/2	0.134
130/4	0.004
130/1	0.016
128/1	0.154
128/2	0.316
133/1	0.117
133/2	0.057
4/2	0.016
164/1, 164/2	0.073
164/10	0.097
164/8	0.016
163/3	0.068
163/6	0.032
163/4	0.202
163/2	0.008
43/10	0.073
27/1, 27/2	0.170
164/3, 164/4	0.073
165	0.121
163/1	0.052
163/7	0.024
3	0.089
4/1	0.028
37/3	0.016
37/7	0.004
38/3	0.045
31	0.008
38/2	0.125
38/1	0.057
43/4, 43/6	0.032
43/5	0.073
58/1	0.008
68/1	0.008
57/13	0.175
57/10, 57/11	0.202
योग 42	2.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के दगौरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2018

प्रारूप-ख
[नियम 5(1) देखिये]

क्रमांक 114/बी 121/2017-18.—राज्य सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं., तहसील डभरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग. से परिवहन हेतु ग्राम-लारा, प.ह.नं.-40, तहसील-पुसौर जिला रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-सराईपाली, प.ह.नं. 33, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाये जाने के संबंध में प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप से आपेक्ष भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सराईपाली/33	173/3	0.085
		योग कुल ख. नं.	**1**	**0.085**

टीप :—

1. भूमि के नीचे लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

बी. पी. जायसवाल,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th August 2018

No. 857/Confdl./2018/II-2-1/2017.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders ;—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
2.	Smt. Neeta Yadav, Special Judge under S.C. and S.T. (P.A.) Act, Janjgir-Champa.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.